डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल—५०५/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीडन १२२ (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मई 1995—ज्येष्ठ 2, शके 1917

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २३ मई १९९५

क्र. ४००३-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १९ मई १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
**टी. पी. एस. पिल्लई,** अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १९ सन् १९९५.

## मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५.

### विषय-सूची.

धाराएं :


१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. जिला योजना समिति.

४. समितियों की संरचना.

५. विशेष आमंत्रित.

६. निर्वाचित सदस्यों की अवधि.

७. समिति के कृत्य.

८. सचिव.

९. उप समितियों का गठन.

१०. समिति का सम्मिलन.

११. नियम बनाने की शक्ति.

१२. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

अनुसूची.

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् १९९५.

## मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५.

[ दिनांक १९ मई, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ मई, १९९५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई ]

राज्य में जिला योजना समितियों का गठन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

**परिभाषाएं.**

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित जिला योजना समिति ;

(ख) "जिला" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में दिया गया है ;

(ग) "पंचायत" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित पंचायत ;

(घ) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है, ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या ;

(ङ) "नगरपालिकाएं" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदें तथा नगर पंचायतें.

**जिला योजना समिति.**

३. (१) जिलें में की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.

(२) प्रत्येक समिति, विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

(एक) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामले जिसमें स्थान विषयक योजना, जल का बंटवारा और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधन, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संबंधी संरक्षण भी सम्मिलित है ;

(दो) उपलब्ध संसाधनों, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा की सीमा तथा प्रकार.

(ख) ऐसी संस्थाओं तथा संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

समितियों की संरचना. ४. (१) प्रत्येक जिले के लिये समिति में इतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाय.

(२) (एक) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के ४/५ सदस्य जिले में की जिला पंचायत तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किए जाएंगे.

(दो) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथासंभव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में जिले में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है.

(तीन) जहां जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगरपालिकाएं हैं, वहां नगरीय क्षेत्रों के स्थान ऐसी नगरपालिकाओं में विहित रीति में वितरित किए जाएंगे.

(३) समिति के शेष सदस्य होंगे—

(क) मध्यप्रदेश राज्य का एक मंत्री जिसे सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जो समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा ;

(ख) जिला पंचायत का अध्यक्ष ;

(ग) जिले का कलक्टर ;

(घ) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या—

(एक) बीस है, तो एक सदस्य या

(दो) पच्चीस है तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे.

(४) उपधारा (३) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसी की विहित की जाय.

विशेष आमंत्रित. ५. (१) (क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का, जो जिले में पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के सम्मिलनों में स्थायी विशेष आमंत्रित होंगे.

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य उनकी अपनी पसंद के एक जिले की समितियों के सम्मिलनों में स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे.

(२) ऐसे आमंत्रिती, जो मंत्री हैं या संसद सदस्य है समिति की बैठक में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे.

निर्वाचित सदस्यों की अवधि. ६. (१) समिति का निर्वाचित सदस्य, यदि वह यथास्थिति, जिला पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं रह जाता है तो समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन या किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण उद्भूत रिक्ति धारा ४ के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी.

समिति के कृत्य. ७. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :—

(१) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना;

(२) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिये ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना;

(३) ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुख-सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना ;

(४) उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग/विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिये नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना;

(५) पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक-आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(६) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना ;

(७) जिले की योजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना ;

(८) जिला विकास योजना के संपूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना;

(९) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/किन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें भी सम्मिलित है की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करना ;

(१०) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति-रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(११) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे ;

(१२) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना ;

(१३) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना ;

(१४) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जाएं.

**सचिव.**

८. जिले का कलक्टर समिति का सचिव होगा तथा समिति का अभिलेख रखने, चर्चाओं का अभिलेख तैयार करने तथा समिति के विनिश्चयों को संसूचित करने तथा उससे संसक्त अन्य सभी आनुषंगिक मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.

**उप समितियों का गठन.**

९. (१) समिति इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित विषयों प्रयोजनों के लिये उपसमितियां विहित रीति में गठित की जाएंगी :—

(एक) जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मानीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय, करने के लिए ;

(दो) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए.

समिति का सम्मिलन.

१०. (१) समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा.

(२) समिति के सम्मिलन नियत तारीख तथा समय पर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे.

(३) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

(४) समिति अपने सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी.

(५) सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए अशासकीय सदस्यों तथा विशेषज्ञों को ऐसा यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते जैसे कि विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगे.

(६) राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी नियम या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत के अध्यधीन रहते हुए समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

११. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१२. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया किया जाएगा.—

## अनुसूची

[धारा ४(१) देखिए]

| अनुक्रमांक | समिति का नाम | सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| १. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :— | १५ |
| | १. भोपाल | |
| | २. रायसेन | |
| | ३. सीहोर | |
| | ४. दतिया | |
| | ५. नरसिंहपुर | |
| | ६. दमोह | |

| (१) | (२) | (३) |
| --- | --- | --- |
| | ७. पन्ना | |
| | ८. टीकमगढ़ | |
| २. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :— | २० |
| | १. बैतूल. | |
| | २. राजगढ़ | |
| | ३. विदिशा | |
| | ४. भिण्ड | |
| | ५. मुरैना | |
| | ६. गुना | |
| | ७. ग्वालियर | |
| | ८. शिवपुरी | |
| | ९. होशंगाबाद | |
| | १०. धार | |
| | ११. इन्दौर | |
| | १२. खण्डवा | |
| | १३. झाबुआ | |
| | १४. बालाघाट | |
| | १५. छिंदवाड़ा | |
| | १६. मण्डला | |
| | १७. सिवनी | |
| | १८. राजनांदगांव | |
| | १९. रीवा | |
| | २०. सतना | |
| | २१. शहडोल | |
| | २२. सीधी | |
| | २३. छतरपुर | |
| | २४. सागर | |
| | २५. देवास | |
| | २६. मंदसौर | |
| | २७. रतलाम | |
| | २८. शाजापुर | |
| | २९. उज्जैन. | |

| (१) | (२) | (३) |
| --- | --- | --- |
| ३. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :—<br>१. बस्तर<br>२. बिलासपुर<br>३. रायगढ़<br>४. सरगुजा<br>५. खरगौन<br>६. जबलपुर<br>७. दुर्ग<br>८. रायपुर | २५ |

भोपाल, दिनांक २३ मई १९९५

क्र. ४००४-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. एस. पिल्लई**, अतिरिक्त सचिव.

29

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. 2
डब्ल्यू. पी./505/99.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवोजन
एम. पी. 2/पी-122/99.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मार्च 1999—चैत्र 8, शक 1921

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1999

क्र. 443-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28 मार्च, 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
**टी. पी. शर्मा**, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् १९९९.

**मध्यप्रदेश जिला योजना समिति ( संशोधन ) अधिनियम, १९९९.**

[दिनांक २८ मार्च, १९९९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २९ मार्च, १९९९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

**मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, १९९९ है.

वृहत् नाम का संशोधन. २. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के विद्यमान वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-य घ के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समितियों का गठन करने और सरकार के कामकाज की मदों के संबंध में राज्य सरकार के कृत्यों का निर्वहन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम.".



8

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) जिले में की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर सौंपी जाएं, प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.".

नई धारा ७-क का अंतःस्थापन. ४. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

समिति की शक्तियां. "७-क.(१) समिति सरकार के कामकाज के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाएं अथवा आवंटित की जाएं.

(२) राज्य सरकार वह रीति विहित तथा अधिसूचित कर सकेगी जिसमें ऐसी शक्तियों का, जो समिति को इस प्रकार अधिसूचित या आवंटित हैं, प्रयोग किया जा सकेगा.

(३) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, समिति राज्य सरकार के अधीनस्थ निकाय के रूप में समझी जाएगी और इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार की ओर से तथा उसके निमित्त करेगी."

भोपाल, दिनांक २९ मार्च १९९९

क्र. ४४४-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् १९९९) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. शर्मा**, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 1999.

## THE MADHYA PRADESH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999.

[Received the assent of the Governor on the 28th March, 1999; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 29th March, 1999.]

**An Act to amend the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

Amendment of long title. 2. For the existing long title of the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

"An Act to constitute District Planning Committee for the purposes of Article 243-ZD of the Constitution of India and to discharge the functions of the State

Government in regard to the items of business of the Government and for matters ancillary thereto.".

3. For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 3.**

"(1) There shall be constituted in each district a District Planning Committee, to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole and to exercise such other powers as may be entrusted to it by the State Government from time to time.".

4. After Section 7 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :— **Insertion of new Section 7-A.**

"7-A. (1) The Committee shall exercise such powers as may be notified under this Act or may be allotted to it by the State Government in respect of the business of the Government. **Powers of the Committee.**

(2) The State Government may prescribe and notify the manner in which the powers so notified or allotted to the Committee may be exercised.

(3) While exercising such powers, the Committee shall be deemed to be a body subordinate to the State Government and shall exercise these powers, for and on behalf of the State Government.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1999.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. ३ -पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम.पी. 108/भोपाल/2000.

267

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी 2000—पौष 14, शक 1921

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2000

क्र. 154-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 31 दिसम्बर 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. सिटोके**, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०००.

## मध्यप्रदेश जिला योजना समिति ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, १९९९.

### विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा ४ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. अनुसूची का स्थापन.

288

## मध्यप्रदेश अधिनियम

**क्रमांक ३ सन् २०००.**

## मध्यप्रदेश जिला योजना समिति ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, १९९९.

[ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९९९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )'' में दिनांक ४ जनवरी, २००० को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

**मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम , १९९९ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ख) ''जिला'' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में दिया गया है और इसमें सम्मिलित है एक या अधिक ऐसे राजस्व जिले या उनके भाग जो कि जिले के लिए गठित जिला पंचायत के भीतर समाविष्ट है.''.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''प्रत्येक जिले में'' के स्थान पर, ''किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में हैं के लिए'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) जहां नगरपालिका/जिला पंचायत के विद्यमान सदस्यों की अवधि का अवसान हो गया हो और निर्वाचित सदस्य समिति के सदस्य नहीं रहते हैं तब शेष बच रहे सदस्य सहित समिति नए निर्वाचन होने तक कृत्यों का निर्वहन करती रहेगी.''.

धारा ४ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्,—

समितियों की संरचना.

**''४. (१) समिति में भिन्न-भिन्न जिलों में १०, १५ या २० सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए;**

**(२) (एक) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के ४/५ सदस्य, यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह ( ग्रुप ) में की जिला पंचायत तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किए जाएंगे.**

**( दो ) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथासंभव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह ( ग्रुप ) में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है.**

269

(३) समिति के शेष सदस्य होंगे—

(क) मध्यप्रदेश राज्य का एक मंत्री जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जो समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा;

(ख) जिले का कलक्टर जो सदस्य-सचिव होगा;

(ग) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या—

(एक) पन्द्रह है तो एक सदस्य; या

(दो) बीस है तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे:

परन्तु उस जिले का कलक्टर जिसमें जिला पंचायत वर्णित है, जिला योजना समिति का सदस्य-सचिव होगा.

(४) उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ५ का संशोधन.

"(३) जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा नगरपालिक निगम के महापौर भी उस दशा में स्थायी विशेष आमंत्रिती होंगे, जबकि वे समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं.".

६. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :— अनुसूची का स्थापन.

"अनुसूची
[धारा ४(१) देखिए]

| अनुक्रमांक (१) | समिति का नाम (२) | सदस्यों की संख्या (३) |
|---|---|---|
| १ | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति | १० |
| | १. श्योपुर | |
| | २. दतिया | |
| | ३. उमरिया | |
| | ४. नीमच | |
| | ५. हरदा | |
| | ६. डिंडोरी | |
| | ७. कोरिया | |
| | ८. जशपुर | |
| | ९. कवर्धा | |
| | १०. धमतरी | |
| | ११. कांकेर | |
| | १२. दन्तेवाड़ा | |

270

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| २ | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>१. टीकमगढ़<br>२. पन्ना<br>३. दमोह<br>४. मन्दसौर<br>५. बड़वानी<br>६. रायसेन<br>७. सीहोर<br>८. होशंगाबाद<br>९. कटनी<br>१०. नरसिंहपुर<br>११. मण्डला<br>१२. कोरबा<br>१३. महासमुन्द | १५ |
| ३ | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>१. मुरैना<br>२. भिण्ड<br>३. ग्वालियर<br>४. गुना<br>५. शिवपुरी<br>६. छतरपुर<br>७. सतना<br>८. शहडोल<br>९. सीधी<br>१०. रतलाम<br>११. उज्जैन<br>१२. शाजापुर<br>१३. देवास<br>१४. झाबुआ<br>१५. धार<br>१६. खरगौन<br>१७. खण्डवा<br>१८. राजगढ़<br>१९. विदिशा<br>२०. भोपाल<br>२१. बैतूल<br>२२. बालाघाट<br>२३. छिंदवाड़ा<br>२४. सिवनी<br>२५. जांजगीर<br>२६. रायगढ़ | २० |

| (१) | (२) | (३) |
| --- | --- | --- |
| | २७. राजनांदगांव | |
| | २८. बस्तर | |
| | २९. सागर | |
| | ३०. रीवा | |
| | ३१. इन्दौर | |
| | ३२. जबलपुर | |
| | ३३. सरगुजा | |
| | ३४. बिलासपुर | |
| | ३५. दुर्ग | |
| | ३६. रायपुर.". | |

भोपाल, दिनांक ४ जनवरी २०००

क्र. १५५-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय-संशोधन) अधिनियम, 1999 (क्रमांक ३ सन् २०००) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. सिटोके,** अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2000.

**THE MADHYA PRADESH ZILA YOJANA SAMITI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999.**

TABLE OF CONTENTS.

**Sections :**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Substitution of new Section for Section 4.
5. Amendment of Section 5.
6. Substitution of Schedule.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2000.

# THE MADHYA PRADESH ZILA YOJANA SAMITI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999.

[Received the assent of the Governor on the 31st December 1999; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th January 2000.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995.**

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

**Amendment of Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) 'District' means a district as construed in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and includes one or more such revenue districts, or parts thereof, as are comprised within the Zila Panchayat constituted for the district.".

**Amendment of Section 3.**

3. In Section 3 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "in each district", the words "for a revenue district or a group of revenue districts and parts thereof with a common Zila Panchayat" shall be substituted ;

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Where the term of the existing members of the Municipality/Zila Panchayat has expired and the elected members cease to be members of the committee then the committee with remaining members shall continue to discharge the functions till new elections are held.".

**Substitution of new Section for Section 4.**

4. For Section 4 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

**Composition of Committees.**

"4. (1) The Committee shall consist of 10, 15 or 20 members in different districts, as specified in the Schedule.

(2) (i) Four-fifths of the total number of members of the Committee shall be elected in the Prescribed manner by and from amongst the elected members of the Zila Panchayat and of the Municipalities in the district or group of revenue districts, as the case may be.

(ii) The number of members to be elected from the rural and urban areas shall be as nearly as is possible, in proportion to the ratio between the population of the rural and urban areas of the district or group of revenue districts, as the case may be.

273

(3) e remaining members of the committee shall be—

(a) a Minister of the State of Madhya Pradesh to be nominated by the State Government, who shall be the Chairperson of the Committee;

(b) the District Collector who shall be the Member-Secretary;

(c) where the number of members of the committee, as specified in the schedule is—

(i) fifteen one member; or

(ii) twenty two members to be nominated by the State Government:

Provided that the Collector of the district which describes the Zila Panchayat shall be the Member-Secretary of the District Planning Committee.

(4) The members nominated under clause (c) of sub-section (3) shall hold office for such term as may be notified by the State Government.

**Amendment of Section 5.**

5. After sub-section (2) of Section 5 of the Principal Act, the following sub-section shall be ..ted, namely :—

"(3) The President of the Zila Panchayat and the Mayor of the Municipal Corporation in the district shall also be permanent special invitees, in case they are not elected Members of the Committee.".

**Substitution of Schedule.**

6. For the Schedule to the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE

[*See* Section 4 (1)]

| .No. (1) | Name of the Committee (2) | Number of Members (3) |
|---|---|---|
| 1. | District Planning Committees of the districts of | 10 |
| | 1. Sheopur | |
| | 2. Datia | |
| | 3. Umaria | |
| | 4. Neemuch | |
| | 5. Harda | |
| | 6. Dindori | |
| | 7. korea | |
| | 8. Jashpur | |
| | 9. Kawardha | |
| | 10. Dhamtari | |
| | 11. Kanker | |
| | 12. Dantewada | |
| 2. | District Planning Committees of the districts of | 15 |
| | 1. Tikamgarh | |
| | 2. Panna | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | 3. Damoh | |
| | 4. Mandsaur | |
| | 5. Badwani | |
| | 6. Raisen | |
| | 7. Sehore | |
| | 8. Hoshangabad | |
| | 9. Katni | |
| | 10. Narsinghpur | |
| | 11. Mandla | |
| | 12. Korba | |
| | 13. Mahasmund | |
| 3. | District Planning Committees of the districts of | 20 |
| | 1. Morena | |
| | 2. Bhind | |
| | 3. Gwalior | |
| | 4. Guna | |
| | 5. Shivpuri | |
| | 6. Chhatarpur | |
| | 7. Satna | |
| | 8. Shahdol | |
| | 9. Sidhi | |
| | 10. Ratlam | |
| | 11. Ujjain | |
| | 12. Shajapur | |
| | 13. Dewas | |
| | 14. Jhabua | |
| | 15. Dhar | |
| | 16. Khargone | |
| | 17. Khandwa | |
| | 18. Rajgarh | |
| | 19. Vidisha | |
| | 20. Bhopal | |
| | 21. Betul | |
| | 22. Balaghat | |
| | 23. Chhindwara | |
| | 24. Seoni | |
| | 25. Janjgir | |
| | 26. Raigarh | |
| | 27. Rajnandgaon | |
| | 28. Bastar | |
| | 29. Sagar | |
| | 30. Rewa | |
| | 31. Indore | |
| | 32. Jabalpur | |
| | 33. Sarguja | |
| | 34. Bilaspur | |
| | 35. Durg | |
| | 36. Raipur.". | |

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2000.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं
सांख्यिकी विभाग.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2000.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640 ]      भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2000—आश्विन 11, शक 1922

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर २०००

क्र. ३०७१-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २६ सितम्बर २००० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०००.

### मध्यप्रदेश जिला योजना समिति ( संशोधन ) अधिनियम, २०००.

[ दिनांक २६ सितम्बर २००० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )", में दिनांक ३ अक्टूबर २००० को प्रथमवार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, २००० है. — संक्षिप्त नाम

२. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) की धारा ९ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— — धारा ९ का संशोधन

"(१) समिति, इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गए एक या अधिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उप-समितियों का गठन कर सकेगी जिनमें समिति के सदस्य और स्थाई विशेष आमंत्रिती होंगे.".

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर २०००

क्र. १०७२-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, २००० (क्रमांक ३० सन् २०००) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2000.

## THE MADHYA PRADESH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2000.

[Received the assent of the Governor on the 26th September 2000; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd October 2000.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Zila Yojane Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000.

Amendment of Section 9. 2. For sub-section (1) of Section 9 of the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) The Committee may constitute sub-committees consisting of members of the committee and the permanent special invitees to discharge one or more of the functions entrusted to it under this Act.".

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 11 अगस्त 2001—श्रावण 20, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2001

क्रमांक 4726/21-अ/(प्रारुपण)/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-8-2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

22



छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 21 सन् 2001)

## छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति ( संशोधन ) अधिनियम, 2001

**छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति, अधिनियम, 1995 संशोधित करने हेतु अधिनियम**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनि हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमां सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

वृहत नाम का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम'' के नाम से निर्दिष्ट है) के वर्तमान वृहत नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत नाम स्थापित किया अर्थात्:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजन के लिए जिला योजना समिति का गठन करने के लिए अधि

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात

किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके किसी भाग जो एक ही जिला पंचा है, की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.

धारा 7-क का लोप.

4. मूल अधिनियम की धारा 7-क का लोप किया जाए.

अनुसूची का स्थापन.

5. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जावे अर्थात् :—

"अनुसूची"
[धारा 4 (1) देखिए ]

| क्रमांक (1) | समिति का नाम (2) | सदस्यों की संख्या (3) |
|---|---|---|
| 1. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>1. कोरिया | 10 |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| | 2. जशपुर<br>3. कवर्धा<br>4. धमतरी<br>5. कांकेर<br>6. दंतेवाड़ा | |
| 2. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>1. कोरबा<br>2. महासमुन्द | 15 |
| 3. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>1. जांजगीर<br>2. रायगढ़<br>3. राजनांदगांव<br>4. बस्तर<br>5. सरगुजा<br>6. बिलासपुर<br>7. दुर्ग<br>8. रायपुर | 20 |

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2001

क्रमांक 4726/21-अ/(प्रारुपण)/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्र. 21 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. एस. उबोवेजा**, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 21 of 2001)

THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001.

**An Act to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samati Adhiniyam, 1995.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

**Short title extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sansodhan) Adhiniyam,2001 (No. 21 of 2001).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

**Amendment of long title.**

2. For the existing long title of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam., 1995 (No. 19 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following long title shall be substituted, namely :—

An Act to constitute District Planning Committee for the purposes of Article 243-ZD of the Constitutuion of India.

**Amendment of Section 3.**

3. For Sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following Sub-section shall be substituted, namely :—

(1) There shall be constituted for a revenue district or a group of districts, and part thereof having a common Zila Panchayat, a District Planning Committee, to consolidate the plans Prepared by the panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as whole.

**Omission of Section 7-A.**

4. Section 7-A of the Principal Act shall be omitted.

**Substitution of Schedule.**

5. For the schedule to the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE"
[ See Rule 4 (1) ]

| S. No. (1) | Name of the Committee (2) | Number of Member (3) |
|---|---|---|
| 1. | District Planning Committees of the District of<br>1. Korea<br>2. Jashpur<br>3. Kawardha<br>4. Dhamtari<br>5. Kanker<br>6. Dantewada | 10 |
| 2. | District Planning Committees of the District of<br>1. Korba<br>2. Mahasamund | 15 |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 3. | District Planning Committees of the District of<br>1. Janjgir<br>2. Raigarh<br>3. Rajnandgaon<br>4. Bastar<br>5. Sarguja<br>6. Bilaspur<br>7. Durg<br>8. Raipur | 20 |

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92-अ ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मई 2001—वैशाख 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2001

क्रमांक डी/2233/21-अ (प्रारूपण) छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. एस. उबोवेजा**, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अध्यादेश

क्रमांक 4 सन् 2001

# छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम ( संशोधन ) अध्यादेश, 2001

भारत के गणराज्य के 52वें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति, अधिनियम, 1995 संशोधित करने हेतु अध्यादेश

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्यवाही करें ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213, खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :—

**संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार.**

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक      सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

**2. वृहत नाम का संशोधन**

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) के वर्तमान वृहत नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के प्रयोजन के लिए जिला योजना समिति का गठन करने के लिए अधिनियम.

**3. धारा 3 का संशोधन**

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) या उसके किसी भाग जो एक ही जिला पंचायत में है, की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा.

**4. धारा 7-क का लोप**

मूल अधिनियम की धारा 7-क का लोप किया जाए.

**5. अनुसूची का स्थापन.**

मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जावे अर्थात्—

"अनुसूची"

[धारा 4(1) देखिए ]

| क्र. (1) | समिति का नाम (2) | सदस्यों की संख्या (3) |
|---|---|---|
| 1. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति | 10 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | 1. कोरिया<br>2. जशपुर<br>3. कवर्धा<br>4. धमतरी<br>5. कांकेर<br>6. दंतेवाड़ा | |
| 2. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>1. कोरबा<br>2. महासमुन्द | 15 |
| 3. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति<br>1. जांजगीर<br>2. रायगढ़<br>3. राजनांदगांव<br>4. बस्तर<br>5. सरगुजा<br>6. बिलासपुर<br>7. दुर्ग<br>8. रायपुर | 20 |

रायपुर

दिनांक

सही/
राज्यपाल
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2001

क्रमांक डी/2233/21-अ (प्रारूपण) छग/2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. एस. उबोवेजा**, उप-सचिव.

## CHHATTISGARH ORDINANCE
No. 4 of 2001

## THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI ADHINIYAM (SANSODHAN) ADHYADESH, 2001

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the fifty-second year of the Republic of India

An Ordinance to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995.

Whereas it is expedient to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995;

AND WHEREAS the State Legislature is not in session, and the Governor of CHATTISGARH is satisfied that circumstances exit which render it necessary for him to take immediate action :—

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordenance :—

**Short title, extent and commencement.**

(1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Zila Yojna Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint fo[r] different areas.

**2. Amendment of long title.**

2. for the existing long title of the Chhattisgarh Zila Yojna Samiti Adhiniyam, 1995 (No.19 o[f] 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act.), the following long title shall be substitute[d] namely, :—

"An Act to constitute District Planning Committee for the purpose of Article 243-ZD or th[e] Constitution of India.

**3. Amendment of Section 3**

For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall b[e] substituted, namely :—

"(1) There shall be constituted for a revenue district or a group of districts, and parts thereo[f] having a common Zila Panchayat, a District Planning Committee, to consolidate the plans prepare[d] by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for th[e] district as whole.

**4. Omission of Section 7-A.**

Section 7-A of the Principal Act shall be omitted.

**5. Substitution of Schedule.**

For the schedule to the Principal Act, the following schedule shall be substituted, namely :-

"THE SCHEDULE"
[ See Section 4 (1) ]

| S. No. (1) | Name of the Committee (2) | Number of Member (3) |
|---|---|---|
| 1. | District Planning Committee of the Districts of<br>1. Korea<br>2. Jashpur | 10 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | 3. Kawardha<br>4. Dhamtari<br>5. Kanker<br>6. Dantewada | |
| 2. | District Planning Committee of the Districts of<br>1. Korba<br>2. Mahasamund | 15 |
| 3. | District Planning Committee of the Districts of<br>1. Janjgir<br>2. Raigarh<br>3. Rajnandgaon<br>4. Bastar<br>5. Sarguja<br>6. Bilaspur<br>7. Durg<br>8. Raipur | 20 |

Raipur

Date

Sd/-
Governor
Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जून 2001—अषाढ़ 4, शक 1923

### वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-4/2001/वित्त/योजना/269.—छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 1 की उपधारा (3) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 16 मई, 2001 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको वह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

Raipur, the 25th June 2001

NOTIFICATION

No. F-1-4/2001/Finance/planning/269.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 4 of 2001), the State Government, hereby, appoints the date 16th May, 2001 on which it shall come into force in the whole State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. पी. त्रिवेदी**, अपर सचिव.

2-96



## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति ( संशोधन ) अधिनियम, 2010

**छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 19 सन् 1995 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**अनुसूची का संशोधन.** 2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में संलग्न अनुसूची में कॉलम क्रमांक (2) के सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

### अनुसूची

[ धारा 4 (1) देखिए ]

| स. क्र. (1) | समिति का नाम (2) | सदस्यों की संख्या (3) |
|---|---|---|
| | 7. नारायणपुर | 10 |
| | 8. बीजापुर | 10 |

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक 442/8/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.**

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2011)

# THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN) ACT, 2010

**An Act further to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :—

**Short title and Commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Schedule.**

2. In the Schedule appended to the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), after serial number 6. of column number (2) the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

SCHEDULE
[ *See Section* 4 (1) ]

| Sr. No. (1) | Name of Committee (2) | No. of Members (3) |
|---|---|---|
| | 7. Narayanpur | 10 |
| | 8. Bijapur | 10 |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2015)

# छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015

**छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन् 1995) की संलग्न अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये.

"अनुसूची

[धारा 4 (1) देखिये]

| स. क्र.<br>(1) | समिति का नाम<br>(2) | सदस्यों की संख्या<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :-<br>(एक) कोरिया.<br>(दो) जशपुर.<br>(तीन) कबीरधाम.<br>(चार) धमतरी.<br>(पांच) कांकेर.<br>(छ:) दंतेवाड़ा.<br>(सात) नारायणपुर<br>(आठ) बीजापुर.<br>(नौ) बस्तर.<br>(दस) सरगुजा.<br>(ग्यारह) सुकमा.<br>(बारह) कोण्डागांव.<br>(तेरह) गरियाबंद.<br>(चौदह) बेमेतरा.<br>(पन्द्रह) बालोद.<br>(सोलह) मुंगेली.<br>(सत्रह) सूरजपुर.<br>(अट्ठारह) बलरामपुर-रामानुजगंज. | 10 |
| 2. | निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :-<br>(एक) कोरबा. | 15 |

(दो) महासमुंद.

(तीन) बलौदाबाजार-भाटापारा.

3. निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :- 20"

(एक) जांजगीर-चांपा.

(दो) रायगढ़.

(तीन) राजनांदगांव.

(चार) बिलासपुर

(पांच) दुर्ग.

(छः) रायपुर.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्रमांक 3674/डी. 138/21-अ/प्रारू./छ. ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुषमा सावंत**, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2015)

## THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

**An Act further to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule appended to the Chhattisgarh Zila Yojna Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Schedule.**

"SCHEDULE

[See Section 4 (1)]

| S. No. (1) | Name of Committee (2) | | Number of Members (3) |
|---|---|---|---|
| 1. | District Planning Committee of the following Districts :- | | 10 |
| | (i) | Korea. | |
| | (ii) | Jashpur. | |
| | (iii) | Kabirdham. | |
| | (iv) | Dhamtari. | |
| | (v) | Kanker. | |
| | (vi) | Dantewada. | |
| | (vii) | Narayanpur. | |
| | (viii) | Bijapur. | |
| | (ix) | Bastar. | |
| | (x) | Surguja. | |
| | (xi) | Sukma. | |
| | (xii) | Kondagaon. | |
| | (xiii) | Gariaband. | |
| | (xiv) | Bemetara. | |
| | (xv) | Balod. | |
| | (xvi) | Mungeli. | |
| | (xvii) | Surajpur | |
| | (xviii) | Balrampur-Ramanujganj. | |
| 2. | District Planning Committee of the following Districts :- | | 15 |
| | (i) | Korba. | |
| | (ii) | Mahasamund. | |
| | (iii) | Baloda Bazar-Bhatapara. | |
| 3. | District Planning Committee of the following Districts :- | | 20" |
| | (i) | Janjgir-Champa. | |
| | (ii) | Raigarh. | |
| | (iii) | Rajnandgaon. | |
| | (iv) | Bilaspur. | |
| | (v) | Durg. | |
| | (vi) | Raipur. | |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.